न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/451

1. हीरालाल
2. रामकरण
3. धनराज
4. महावीर
5. मुकेश पिसरान स्व0 भंवर लाल जाति माली निवासीगण ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. अरूण कुमार
2. राजेन्द्र कुमार
3. प्रवीण कुमार पिसरान श्री शिखर चन्द जाति महाजन निवासीगण ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
4. प्रेम कुमारी
5. अनिता कुमारी
6. सुनिता कुमारी पत्रियॉ श्री शिखर चन्द जाति महाजन निवासीगण ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
7. सुमित्रा बेवा श्री शिखरचन्द जाति महाजन ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
8. धन्ना लाल आत्मज श्री माधो लाल जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री हुकुम चन्द जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 7 की ओर ।

निर्णय दिनांकः 22.06.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.02.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 7 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 90 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम इटावा में सेटलमेंट व केचमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 12 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित थी । उक्त भूमि वादीगण के पिता व पति श्री शिखरचन्द बेटा गौरीशंकर के खाते दर्ज थी । उक्त भूमि का केचमेंट होने के उपरान्त नामान्तरकरण संख्या 876 दिनांक 01.02.1981 से नवीन खसरा नम्बर 2125 रकबा 17 बीघा 04 बिस्वा कायम किया गया । बाद सेटलमेंट खसरा नम्बर 2125 के नये खसरा नम्बर 184 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 185 रकबा 2.32 हैक्टर कायम किये गये । भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी किये गये पट्टे में उक्त दोनों खसरा नम्बरान को दर्शाया गया है किन्तु खतौनी भू–प्रबन्ध में खसरा नम्बर 184 रकबा 0.40 हैक्टर वादीगण के खाते में नहीं दर्शाया गया केवल मात्र खसरा नम्बर 185 रकबा 2.32 हैक्टर ही वादीगण के खाते में दर्शाया गया है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी किया गया पट्टा (पर्चा लगान) द्वितीय पडत में खसरा नम्बर 184 रकबा 0.40 हैक्टर अरूण कुमार पुत्र शिखर चन्द कौम महाजन वादी कम 01 के खातेदारी में दर्शाया गया । भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार की गई खतौनी में खसरा नम्बर 184 रकबा 0.40 हैक्टर को सहवन व त्रुटिवश वादीगण के खाते दर्ज नहीं करके सेटलमेंट विभाग द्वारा त्रुटि की है । भू–प्रबन्ध विभाग ने ख्सरा नम्बर 184 रकबा 0.40 हैक्टर को खातेदार के कॉलम नं0 04 में खेल भराई की भूमि में सम्मिलित करते हुए बजरंगलाल, माधोलाल पुत्र किशनलाल व भंवर लाल, रतनलाल, बालमुकुन्द के नाम अंकन कर दिया । खसरा नम्बर 184 रकबा 0.40 हैक्टर सेटलमेंट से पूर्व के खसरा नम्बर 2125 का ही भाग है । वादीगण उक्त भूमि पर आज भी काबिज काश्त है ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि केचमेंट से पूर्व की आराजी खसरा नम्बर 12 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा जिसके बाद केचमेंट नवीन खसरा नम्बर 2125 रकबा 17 बीघा 04 बिस्वा कायम किये गये एवं बाद सेटलमेंट भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा पर्चा लगान में खसरा नम्बर 184 रकबा 0.40 हैक्टर व खसरा नम्बर 185 रकबा 2.32 हैक्टर कायम किये हैं, को वादी कम 01 के खाते में दर्शाया गया था किन्तु मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग में खसरा नम्बर 184 रकबा 0.40 हैक्टर को खेल भराई के नाम से दर्ज कर दिया जिससे उक्त भूमि वादीगण के खाते दर्ज नहीं की । खसरा नम्बर 184 रकबा 0.40 हैक्टर भूमि को वादीगण के खातेदारी में दर्ज किया जावे । प्रतिवादी कम 02 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 184 रकबा 0.40 हैक्टर पर वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखल व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.02.20218 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.02.20218 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी रेस्पोडेन्टगण ने परीक्षण न्यायालय में अपीलान्टगण को पक्षकार बनाये बिना वाद प्रस्तुत किया जिसे

परीक्षण न्यायालय ने बिना किसी आधार के सही मानते हुए डिक्री कर दिया । वादीगण ने परीक्षण न्यायालय में यह कथन किया था कि जमाबन्दी में अंकित खातेदार जीवित नहीं है लेकिन उनके वारिसान को पक्षकार बनाये बिना उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना परीक्षण न्यायालय से तथ्य छुपाकर वाद वादीगण डिक्री करवा लिया । परीक्षण न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 184 रकबा 0.40 हैक्टर का खातेदार है तथा उक्त आराजी पर काबिज काश्त है । उक्त आराजी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा के निर्णय दिनांक 18.05.2017 से अपीलान्ट के खाते दर्ज हो चुकी है जिनको पक्षकार बनाये बिना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.02.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील के साथ अपीलान्टगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि अपीलान्टगण वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 184 रकबा 0.40 हैक्टर के खातेदार है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से अपीलान्टगण के हित प्रभावित हुए हैं वे प्रस्तुत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार हैं । अतः अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्टगण को अपीलें प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

7. हमने अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्टगण ने स्वयं को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 184 रकबा 0.40 हैक्टर का खातेदार होना बताया है । अतः न्यायहित में अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्टगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

8. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट को परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया था । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्टगण प्रभावित पक्षकार है । अपीलान्ट को उक्त निर्णय एंव डिक्री की जानकारी प्राप्त होते ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर ये दोनों अपीलें न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

9. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्टगण कम 1 लगायत 7 ने परीक्षण न्यायालय में खातेदारों को पक्षकार बनाये बिना ही वाद प्रस्तुत किया । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 184 रकबा 0.40 हैक्टर के अपीलान्टगण खातेदार हैं तथा उक्त भूमि पर काबिज काश्त हैं। उक्त आराजी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा के के निर्णय दिनांक 18.05.2017 से अपीलान्ट के खाते दर्ज हो चुकी है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्टगण के खातेदारी में

दर्ज है जिनको पक्षकार बनाये बिना ही वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर डिक्री करवा लिया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्टगण परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से व्यथित पक्षकार हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.02.2018 निरस्त फरमाया जावे।

11. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में तहसीलदार पीपल्दा ने रिपोर्ट पेश की थी उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि प्रार्थी उनके गत के मुकाबले 0.42 हैक्टर का अन्तर है जिसका मौका देखा गया मौके पर प्रार्थी के हाल खसरा नम्बर 184 रकबा 0.40 हैक्टर पर भी प्रार्थी का कब्जा है परन्तु हाल रिकॉर्ड की गलती से सहवन से उक्त खसरा नम्बर बजरंगलाल, माधोलाल पुत्र किशनलाल, भंवरलाल, रतनलाल व बालमुकुन्द के नाम से दर्ज है जो प्रार्थी के नमा करना उचित है । परीक्षण न्यायालय ने तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.02.2018 बहाल रखा जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं क्योंकि परीक्षण न्यायालय में अपीलान्टगण को पक्षकार नहीं बनाया था इसलिए वे परीक्षण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. अपील के साथ संलग्न दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2070–2073 जिसके अनुसार ग्राम इटावा की खाता संख्या नया 158 में खसरा नम्बर 170 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 184 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 1171 रकबा 0.79 हैक्टर, खसरा नम्बर 1218 रकबा 0.34 हैक्टर कुल 04 किता की रकबा 1.73 हैक्टर भूमि खेल भराई बजरंगलाल, माधोलाल पुत्र किशनलाल, भंवरलाल, रतनलाल, बालमुकुन्द के खातेदारी में दर्ज है जिस पर नामान्तरकरण संख्या 2918 दिनांक 18.05.2017 न्यायालय आदेश एवं डिक्री से सम्पूर्ण खाते पर हीरालाल, रामकरण, धनराज, महावीर, मुकेश पुत्रान भंवर लाल के नाम खातेदारी में दर्ज करने की स्वीकृति हुई का नोट अंकित है ।

14. अपील के साथ संलग्न राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार अपीलान्ट खसरा नम्बर 184 रकबा 0.40 हैक्टर के खातेदार हैं जिन्हें परीक्षण न्यायालय में पक्षकार बनाये बिना वादीगण रेस्पोडेन्ट का वाद डिक्री किया है । अपीलान्टगण प्रस्तुत प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थे क्योंकि वे वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 184 रकबा 0.40 हैक्टर के अपील के साथ नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 के अनुसार नया खाता संख्या 158 में खसरा नम्बर 170 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 184 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 1171 रकबा 0.79 हैक्टर, खसरा नम्बर 1218 रकबा 0.34 हैक्टर कुल 04 किता की रकबा 1.73 हैक्टर भूमि खेल

भराई बजरंगलाल, माधोलाल पुत्र किशनलाल, भंवरलाल, रतनलाल, बालमुकुन्द के खाते में दर्ज है जिस पर नामान्तरकरण संख्या 2918 दिनिांक 18.05.2017 न्यायालय आदेश एवं डिक्री से सम्पूर्ण खाते पर हीरालाल, रामकरण, धनराज, महावीर, मुकेश पुत्रान भंवरलाल को खातेदार कृषक दर्ज करने की स्वीकृति का नोट अंकित है । इस प्रकार अपीलान्टगण वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 184 रकबा 0.40 हैक्टर के खातेदार अंकित हैं । उपर्युक्त स्थिति में हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.02.2018 निरस्त किया जताा है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलान्टगण को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे परीक्षण न्यायालय में दिनांक 25.07.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 22.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा